न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2018(रसद)
पंजीयन दिनांक 24.09.2018

राज्य सरकार जरिए सुमन तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी, भदेसर (चित्तौड़गढ़)

..................प्रार्थी

बनाम

श्री गोपाल सेन पिता श्री माधवलाल सेन निवासी कूंथना, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (प्रो. ओम साई होटल, भादसौडा)

................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित पेट्रोलियम उत्पाद (भण्डारण एवं प्रदाय का विनियमन) आदेश 1999 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चितौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.09.2018 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश की अनुपालना में चित्तौड़गढ़-उदयपुर हाईवे पर भादसौड़ा स्थित श्री ओम साई होटल पर अवैध पेट्रोलियम भण्डारण की सूचना मिलने पर श्रीमति सुमन तिवारी एवं श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी व श्री भंवरलाल नाई, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंच जांच की गई जहां मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम श्री गोपाल सेन पिता माधवलाल सेन निवासी कूंथना बताया तथा इस होटल का संचालन स्वयं करना बताया। होटल संचालक तथा पुलिस टीम के साथ होटल परिसर का निरीक्षण करने पर पांच प्लास्टिक के भरे हुये ड्रम तथा दस खाली प्लास्टिक के ड्रम पाये गये। भरे हुए प्लास्टिक के ड्रम का ढक्कन खोलकर देखने पर पेट्रोलियम पदार्थ जैसा प्रतीत हुआ। इस संबंध में होटल संचालक श्री गोपाल सेन से पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार एवं भण्डारण के संबंध में लाईसेन्स मांगे जाने पर उसने बताया कि उसके पास कोई लाईसेन्स नहीं है तथा वह नेशनल हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदते हैं तथा बेचते हैं। मौके पर ही ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को जब्त सरकार कर, गेज से नापने पर पांचों ड्रमों में कुल 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। पांचों ड्रमों को क्रमशः 1 से 5 मार्का दिया तथा प्रत्येक ड्रम से कांच की बोतलों में तीन-तीन सेम्पल लिये प्रत्येक ड्रम से लिये गये नमुने को A1, B1, C1 मार्का दिया गया तथा नमुना संख्या A1 को वास्ते जांच पुलिस थाना

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

भादसौड़ा की सुपुर्दगी में दिया गया तथा पांचों ड्रमों में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ मात्रा 420 लीटर को भी पुलिस थाना भादसौड़ा की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री गोपाल सेन द्वारा बिना लाईसेन्स के पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण एवं क्रय-विक्रय का कृत्य कर पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 का उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी श्री गोपाल पिता माधवलाल सेन निवासी कूंथना द्वारा अपने प्रतिष्ठान ओम साई होटल, भादसौडा पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद फरोक्त करते पाया तथा उसके प्रतिष्ठान पर पांच ड्रमों में कुल 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके पर पाया गया तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 11.09.2018 को जब्तशुदा 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 420 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को थानाधिकारी, पुलिस थाना भादसौड़ा से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official